

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 60 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 157/2024/PB)

In re: News Item Titled "Jamshedpur Border Area Mining Department Action - Kapali Ke Gauri Balu Ghat Par Khanan Vibhag Ka Chhapa Balu Lade Tractor Samet Anya Samaan Jabt" Appearing in Sharp Bharat Dated 09 01 2024 Applicant

Versus

Jharkhand Pollution Control Board & Ors.
..... Respondent

INDEX

S. N.	Particulars	Page No.
1.	Counter Affidavit on Behalf of the Jharkhand State Pollution Control Board.	02-06
2.	Annexure - A: True copy of the Memo No.1188 dated 31/08/2013.	07-08
3.	Annexure - B: True copy of the Board's Letter No. B - 633 dated 01/03/2024.	09
4.	Annexure - C: True copy of the DMO, Saraikela Kharsawan Ref. No. 159/M dated 09/03/2024.	10-17

Filed by: -



Kumar Anurag Singh
Advocate

Jharkhand State Pollution Control Board



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 60 of 2024 (EZ)

(Earlier O. A. No. 157/2024/PB)

In re: News Item Titled "Jamshedpur Border Area Mining Department Action - Kapali Ke Gauri Balu Ghat Par Khanan Vibhag Ka Chhapa Balu Lade Tractor Samet Anya Samaan Jabt" Appearing in Sharp Bharat Dated 09 01 2024 Applicant

Versus

Jharkhand Pollution Control Board & Ors.

..... Respondent

Counter Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board in compliance of the order dated 22/02/2024.

I, Yatindra Kumar Das, son of Late K. K. Das presently posted as the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, H.E.C, Dhurwa, Ranchi and am duly authorized and here by solemnly state and affirm

as follows: -



1. That, at present, I am working and posted as the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, H.E.C, Dhurwa, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.
2. That, I have gone through the order dated 22/02/2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi and has understood the contents therein.
3. That, I have been authorized to swear this affidavit on behalf of the Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.
4. That, the instant O. A. was taken up Suo moto by the Hon'ble NGT based on the news item which related to the alleged illegal Sand mining prevalent in Jamshedpur border areas. As per the said report, though the mining department in a raid tried to arrest the sand mafia engaged in illegal mining but the violators succeeded in escaping and some trucks loaded with the sand were seized.



27 MAR 2024

5. That, it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp Sankhya 563/MoCo Dated 05/10/2005 has constituted a Task Force at district level to review, follow-up and control the illegal mining activities in the district and has further expanded their jurisdiction vide Memo No. 1188 dated 31/08/2013.

Photocopy of the Memo No. 1188 dated 31/08/2013 is enclosed herewith as **Annexure - 'A'**.

6. That, it is humbly stated and submitted that the JSPCB vide its Ref. No. B-633 dated 01/03/2024 has directed the Deputy Commissioner - Cum - Chairman, District Task Force (Mining), Saraikela-Kharsawan and the District Mining Officer - Cum - Member Secretary, District Task Force (Mining), Saraikela-Kharsawan to submit the Action Taken Report.

Photocopy of the Board's Ref. No. B-633 dated 01/03/2024 is enclosed herewith as **Annexure - 'B'**.

7. That, the District Mining Officer - Cum - Member Secretary, District Task Force (Mining), Saraikela-



27 MAR 2024

Kharsawan vide his letter no. 159/M dated 09/03/2024 has submitted the Action Taken Report against the illegal mining in light of the order dated 22/02/2024 in the present Original Application. It has been informed that while inspection on 09/01/2024 at 11:00 AM of the Gouri and Sapra Balughat located in Adityapur some irregularity was observed. In light of the said irregularity, a FIR was lodged in the Kapali O.P. which is located in the Saraikela-Kharsawan district. The Case no. of which is 11/2024 dated 09/01/2024.

Photocopy of the letter no. 159/M dated 09/03/2024 is enclosed herewith as **Annexure - 'C'**.

8. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.
9. That the statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.

Yatiz Anand
DEPONENT

27 MAR 2024



Maiti
27/3/24

Maiti

VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this the day of ^{27th}..... March, 2024 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Yashendra Kumar
DEPONENT

Mishra
27/3/2024

**NOTARY PUBLIC
RANCHI**

Ref.No. *321* Date *27 MAR 2024*
**NOTARY
RANCHI**
Reg. No. A/AB 22/89
MITHULESH NARAYAN JENA
Ranchi (Jharkhand) India

Notarized under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India)

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

राँची दिनांक :-

संकल्प सं०/एम०

संकल्प

झारखंड राज्य में अवैध खनन पर रोकथाम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 द्वारा जिला स्तर पर अवैध खनन के गतिविधियों की नियमित समीक्षा, अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स/उड़न दस्ता के कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए खनिज अन्वेषण के क्रम में ग्रामिणों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधान के निराकरण को भी सम्मिलित किया जाता है।

2 खनिज अन्वेषण में उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधानों को टास्क फोर्स के समक्ष रखने हेतु संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 के कंडिका - 2 जिससे जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित किया गया है में प्रमंडलीय स्तर के उप निदेशक, भूतत्व एवं जिला स्तर के सहायक निदेशक, भूतत्व को सदस्य के रूप में रखा जाता है। अब जिला स्तर के टास्क फोर्स के सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

जिला स्तर पर टास्क फोर्स

1 उपायुक्त	- अध्यक्ष
2 आरक्षी अधीक्षक	- सदस्य
3 अपर समाहर्ता, राजस्व	- सदस्य
4 जिला खनन पदाधिकारी	- सदस्य सचिव
5 उप निदेशक, भूतत्व	- सदस्य
6 सहायक निदेशक, भूतत्व	- सदस्य
7 वन प्रमंडल पदाधिकारी	- सदस्य
8 जिला स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पंचद के पदाधिकारी	- सदस्य
9 जिला परिवहन पदाधिकारी	- सदस्य

एतदसंबंधी पूर्व में निर्धारित शर्त एवं कर्तव्य यथावत रहेंगे।

यह आदेश सद्य प्रभाव से लागु होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सतेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव

राँची दिनांक :-

जापक :-


/एम०

प्रतिलिपि - सचिव परिवहन विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/आरक्षी महानिदेशक/क्षेत्रीय नियंत्रक, आई०बी०एम०/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पंचद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव


सं सं 22/फिड 56/13



जापांक :- 1188 / एम०

राँची, दिनांक - 31.8.13

प्रतिलिपि - सभी उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव







JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

9

By Email

Hon'ble NGT Matter
Time Bound (Urgent)

Ref. No. B-633

Ranchi, Dated 01/03/2024

Annexure - 'B'

From,

Yatindra Kumar Das,
Member Secretary.

To,

The Deputy Commissioner – Cum –
Chairman, District Task Force (Mining),
Saraikela-Kharsawan.

The District Mining Officer – Cum –
Member Secretary, District Task Force (Mining),
Saraikela-Kharsawan.

Sub: - Action Taken Report against the illegal sand mining in light of the order dated 22/02/2024 in O. A. No. 157/2024 in the matter of News item titled "Jamshedpur Border Area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabt" appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 – Regarding.

Sir,

With reference to the above noted subject, it is, to inform that the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi on dated 22/02/2024 in O. A. No. 157/2024 in the matter of News item titled "Jamshedpur Border Area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabt" appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 has taken the matter for hearing and passed the order (copy enclosed). The OA is transferred to the Eastern Zonal Bench for appropriate further action. The matter will be listed before Eastern Zone Bench at Kolkata on 02.04.2024.

In light of the above, it is, hereby directed to submit the Action Taken Report against the illegal sand mining in light with the above said News Item appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 to the undersigned by 15/03/2024 so that the Response may be filed in time before the Ho'ble NGT, EZB, Kolkata.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: As above

Yours Sincerely

Sd/-


(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary

Memo No. B-633

Ranchi, Dated 01/03/2024

Copy to: The Regional Officer, JSPCB Regional Office – Cum – Laboratory, Jamshedpur for information and it is directed to follow up with the District Task Force (Mining), Saraikela-Kharsawan and get the Action Taken Report at an earliest.

KMB/704



(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
पत्रांक ...159.../एम०, दिनांक 09/03/2024.

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

श्री यतीन्द्र कुमार दास,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
धुर्वा राँची।

विषय :-

Action Taken Report against the illegal sand mining in light of the order dated 22/02/2024 in O.A. No - 157/2024 in the matter of news item titled "Jamshedpur Border area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabi" appearing in Sharp Bharat dated 09.01.2024 - Regarding.

प्रसंग :-


भवदीय पत्र संख्या Ref. No - B - 633, Ranchi, दिनांक 01.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करते हुए कहना है कि News item titled "Jamshedpur Border area Mining Department Action - Kapali ke Gauri Balu Ghat par Khanan Vibhag ka Chhapa, Balu lade tractor samet anya samaan jabi" से संबंधित मामले में दिनांक 09.01.2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आदित्यपुर स्थित गौरी एवं सापडा बालू घाट का निरीक्षण के उपरान्त पाये गए अनियमितता के संबंध में सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत कपाली थाना (ओ०पी०) में प्राथमिकी दायर की गयी है, जिसका थाना काण्ड संख्या 11/2024 दिनांक 09.01.2024 है। जिसकी छायाप्रति अवलोकन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कृपया भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


09.03.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): सराइकेला

P.S. (थाना): चान्डिल

Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि.की दिनांक और समय): 09/01/2024 18:00बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	414
2	भा द सं 1860	34
3	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	4
4	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	54
5	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
6	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	9

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): मंगलवार

Date From (दिनांक से): 09/01/2024

Date To (दिनांक तक): 09/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4

Time From (समय से): 11:00 बजे

Time To (समय तक): 11:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/01/2024

Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002

Date & Time (दिनांक और समय): 09/01/2024 19:14 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):


1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 26 Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): Gouri Balu Ghat Kapali

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):



6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Sanny Kumar

(b) Father's Name (पिता का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993

(e) UID No. (यूआईडी सं.): 636398663931

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

1	वर्तमान पता	Jila Khanan Karyalay, सरायकेला, सराइकेला, झारखंड, भारत
2	स्थायी पता	Jila Khanan Karyalay, सरायकेला, सराइकेला, झारखंड, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-) सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में ओपीओ प्रभारी कपाली विषय प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सदरपूर्वक कहना है कि आज दिनांक 09.01.24 को पूर्वाह्न लगभग 11:00 बजे उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पत्रांक 07/ गो0 सरायकेला दिनांक 03.01.24 के द्वारा प्राप्त पत्र निर्देश के आलोक में पुलिस केंद्र से प्रतिनियुक्त 04 पुलिस बल के साथ आदित्यपुर स्थित छपरा एवं गौरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुछ लोग द्वारा ड्रम पर प्लेटफार्म बनकर नदी से बालू उत्खनन कर रहे थे एवं एक ट्रैक्टर सराज 735 ST Model No-735 ST जिसका इंजन नं0- 39.1355/SFG 18110 चेचिस नं0- MBNAN48ADPTH12110 जिस पर बालू लगभग 100 सेफ्टी लटा हुआ है के द्वारा अवैध वालों निकलते हुए पाया गया पुलिस बल के देखकर अवैध उत्खनन कर रहे व्यक्ति /व्यक्तियों भागने में सफल रहे एवं उक्त ट्रैक्टर के चालक भी पुलिस बल के पिछा करने पर भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी कपाली को दूरभाष पर सूचना देने के उपरांत थाना प्रभारी कपाली महोदय के द्वारा श्री दिनेश कुमार के साथ चार 04 सशस्त्र बल को भेजा गया। उक्त स्थल पर कोई भेद बालू घाट संचालित नहीं है जिसमें स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

करता एवं अवैध परिवहन कर्ता के द्वारा अवैध रूप से बालू लघु खनिज का उत्खनन परिवहन किया जा रहा है। स्थल पर जो ड्रम एवं अन्य के साथ प्लेटफार्म बनकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है जो झारखंड बालू खनिज समानुदायनियमावली 2004 संशोधित के नियम 54 (2) के तहत जासकर थाना प्रभारी कपाली के संपुर्ण किया गया एवं स्थल पर से स प्लेटफार्म को नष्ट कर दिया गया अवैध बालू निकासी करते हुए पाए गए ट्रैक्टर की पुलिस बल की सहायक से कपाली थाना प्रभारी को झारखंड लघु खनिज समानुदाय नियमावली 2004 धारा संशोधन के नियम 54 (2) के तहत जप्त कर कपाली थाना प्रभारी को संपुर्ण किया गया (जसी सूची संलग्न) अवैध खनन परिवहन कर्ता के MMDR एक्ट 1957 की धारा 4 के उल्लंघन किया गया है एवं MMDR एक्ट 1957 की धारा 21 के तहत दंडनीय है साथ ही झारखंड लघु खनिज समानुदाय नियमावली 2004 धारा संशोधन के नियम 04 एवं 54 का उल्लंघन है, The Jharkhand Minral Prevention Of Illegal Mining transportation and Storage rule 2019 के नियम 09 का भी उल्लंघन है अतः अनुरोध है कि अज्ञात चालक/ वाहन के मालिक एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं नियमों के तहत प्राथमिक की दर्ज करने की कृपा करें। सत्री कुमार जिला- खनन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ उप- 31 वर्ष पता जिला खनन कार्यालय, पिता श्री प्रमोद कुमार साह। 636398663931

13 Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: or (या)
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Shanti Minz

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No.(सं.): 2005251 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)


R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

CK Shaha
09/01/24

Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name DINESH THAKUR
Rank SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 110183546004



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कट (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8		9	10	11	12	13
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					* Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)



श्री,
ओ.वी.आर
कपारी

विषय: माधवजी की मरी के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित किया है कि अद्य दिनांक 09.01.2024 को पुलिस लाइन 22 वरिष्ठ आयुक्त सरायकेला खरसावाँ के पत्रांक 07/जि० सरायकेला दिनांक 03.01.2024 के कार्य प्राप्त निदेश के तालिका में पुलिस केन्द्र की प्रतियुक्त 04 पुलिस बल के साथ ऑटोपेट्रोल साइकल को मोरी बालू घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुछ लोग कार्य प्राप्त पेट्रोल साइकल को चला कर नदी से बालू उखाना कर रहे थे। एवं एक हेमेट SWARAJ 735X7 Model No 735X7 जिसका Engine No 39.1355/SF418110, Chassis No MBNAN48ADPTH12110 जिस पर बालू लगभग 200 लीटर लगा हुआ है के साथ अर्धचक्र बालू निकालने हुए पाया गया। पुलिस बल को देख कर अर्धचक्र उखाना कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों को गिराने में सफल रहे हैं। उक्त हेमेट के चालक भी पुलिस बल के पिछा करीब पर गिराने में सफल रहे। यात्रा प्रणाली कपारी की सुरक्षा पर सूचना देने के उपरान्त, थाना प्रभारी कपारी अर्धचक्र के साथ श्री निदेश तालिका के साथ 04 सशस्त्र बल को भेजा गया। उक्त स्थल पर मोरी बालू घाट सेवालय नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अर्धचक्र उखाना करीब एवं अर्धचक्र परिवहन करीब के बालू अर्धचक्र को बालू लघु रवाना का उखाना/परिवहन किया जा रहा है। स्थल पर जो ड्रम एवं अन्य के साथ लोडफार्ज लगा कर अर्धचक्र उखाना किया जा रहा है को आरक्षक लघु रवाना समुदाय नियमावली 2009 यथा संशोधित के नियम 54(2) के तहत उक्त कर यात्रा प्रणाली, कपारी को हटाने किया गया एवं स्थल पर शेष लोडफार्ज को नष्ट कर दिया गया। अर्धचक्र बालू निकालने करीब हुए पाठ बार हेमेट की पुलिस बल के सहयोग से कपारी यात्रा प्रणाली की आरक्षक लघु रवाना समुदाय नियमावली 2009 यथा संशोधित के नियम 54(2) के तहत उक्त कर कपारी यात्रा प्रणाली को हटाने किया गया। (सर्व सूची संलग्न)

[Handwritten signature]

अधिकांश खनिज / पत्थर गति के लिए MMDR Act 1952 की धारा 4 का उल्लंघन किया जा रहा है जो MMDR Act 1952 की धारा 2 के तहत दंडनीय है साथ ही अनुसूची लक्ष्य खनिज अनुसूची क्रमांक 2004 का भी उल्लंघन के नियम 4 एवं 54 का उल्लंघन है, The Shankhand mineral Prevention of illegal mining transportation and storage Rules 2017 के नियम 9 का भी उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि अज्ञात चालक / वाहन के गति/ स्थिति एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति/ व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं/ नियमों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाये।

[Signature]
09/01/24

श्री प्रमोद कुमार

बिला खनन पदा

एन एच

उम्र - 31 वर्ष

पता - बिला खनन सामूहिक एन एच

पिछ - श्री प्रमोद कुमार साहू

636398663931



forwarded to otc chandil for instituting a case u/s 414/34 IPC & 21MMOR, 4/54 JMMC

Rule 2004, & 9 The Shankhand mineral Prevention of illegal mining Transportation & storage Rule 2017
ASE shanti minz will PIZ Investigate this case.

[Signature]
01/01/24
OTC
Papali OP

Registered Chandil (Kopali) PS case No. 11/24 dt 09/01/24
U/S- 414/34 IPC, 21 MMOR, 4/54 JMMC Rule 2004 & 9 The
Shankhand minerals Prevention of illegal mining transport
tion & storage Rule 2017. ASI Shanti Minz will PI investigate
of this case. CKJhalu

जप्ती सूची
जिला दलमिया - सदर - अभियुक्त का कार्यालय संख्या 07/10

01. प्रसंग:-
दिनांक 07/01/2024

02. तिथि एवं समय:-
09.01.2024 लगान 11:45 बजे

03. स्थान जहाँ जप्त किया गया है:-
सापडा बालु धार

04. गवाह का नाम एवं पता:-

- A. पुंछु नि. दिनेश कुमार फे- वसंत प्रसाद पता- कपाली क्षोणी में पुंछु नि. के घर पर पस्रस्थापित, थाना- चारिल जि. सराप्रवेला - सरसाव में राजशिवार नामक पिता स्व. कुल नामक, ग्राम- डुली, पो. पधगा।
B. ग्राम- सराप्रवेला । वर्तमान कृषक सपटेर फेडा ड. सापडा के पद पर जि. एन. कोषालय सपयवेला - सरसाव में कार्यरत है।

05. जप्त किया गया वस्तु का विवरणी:- ① Tractor - SWARAJ 735 XT, Model 735 XT

② वासे - 05

③ लोहे का यन्त्र - 02

④ लोहे का शक - 08

⑤ लाकड़ का शक - 05

Engine No 39.1355/SF418110

Chassis No - MBNAN48ADPTH12210

Sand - Appx 100 cft loaded

06. गवाहों का हस्ताक्षर जिनके सामने जप्त किया गया:-

A. 

B. 

07. अभियुक्त का हस्ताक्षर:-

08. जप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी का नाम/पद एवं हस्ताक्षर:-




09.01.24
जिला दलमिया
सं. 07